राजस्व लोक अदालत न्याय आपके द्वार 2015

राजस्व लोक अदालत "न्याय आपके द्वार" कैम्प 2015 ग्राम पंचायत कालादेह
न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर भीम
(नरेन्द्र कुमार जैन पीठासीन अधिकारी लोक अदालत/कैम्प कोर्ट)
कैम्प कोर्ट का स्थान :– ग्राम पंचायत कालादेह

निर्णय दिनांकः– 29.05.2015

1. श्री डालचंद पिता अमरा खटीक निवासी धोटी तहसील भीम

बनाम

2. श्री छगन लाल पिता देवाराम बलाई निवासी बलाईयों की ओडी धोटी तहसील भीम
3. श्री पूनाराम पिता देवाराम निवासी बलाईयों की ओडी धोटी तहसील भीम
4. श्री भैराराम पिता देवाराम निवासी बलाईयों की ओडी धोटी तहसील भीम
5. श्री कालूराम पिता देवाराम निवासी बलाईयों की ओडी धोटी तहसील भीम
6. श्री सोहनलाल पिता देवाराम निवासी बलाईयों की ओडी धोटी तहसील भीम

प्रकरण संख्या :– 22/2011 रे.वा. अन्तर्गत धाराः– 92 ए

वादी का ग्राम धोटी पटवार हल्का कालादेह मं एक कुआ चाह नं. 1154 जिसमें वादी का 1/3 हिस्सा है। तथा उक्त चाह से वादी अपनी ग्राम धोटी में स्थित आराजियात खसरा नं 1169रकबा 1 बीघा 10 विस्वा तथा खसरा नं. 1168 4 विस्वा भूमि की लम्बे समय से सिंचाई करता आ रहा है। उक्त चाह खसरा नं 1154 से वादी के अपने उक्त खेतों में पानी लाने वाला धोरा प्रतिवादीगण के खेत की पाली से होता हुआ निकलता है। अपने खेतों खसरा नं 1169 1 बीघा 10 विस्वा खसरा नं 1168 4 विस्वा में जौ व चने की फसल बो रखी है जिसकी पिलाई वादी कुआ चाह नं 1154 से करता है। उक्त चाह द्वारा वादीगण शांतिपूर्वक उपभोग करता आ रहा है। प्रतिवादीगण वादी के हिस्से के पानी को वादी के खेत में ले जाने से रोकने के लिए वादी के साथ लडाई झगडा कर रहे है। पानी के शांतिपूर्वक उपयोग, उपभोग में बाधा उत्पन्न कर रहे है। वाद ग्रस्त चाह में ओर भी हिस्सेदार है परन्तु उनसे कोई विवाद नही होने की वजह से उनके खिलाफ कोई दाद नहीं चाही है। प्रकरण आपके न्यायालय में लम्बित है। आज दिनाक 29.05.2015 राजस्व लोक अदालत "न्याय आपके द्वार 2015" कैम्प कालादेह मे वादी की मृत्यु होने के कारण उनके वारिसानों द्वारा अवगत कराया कि वादी श्री डालचंद की मृत्यु के उपरान्त उनके विधिक उतराधिकारी निम्न है– 1. प्रतापलाल, तेजपाल, राजमल, पिसरान डालचंद सीता, कमला, इन्द्रा, पारस, मंजु, सुशीला पुत्री डालचंद खटीक तथा बदामी पत्नी डालचंद खटीक निवासी धोटी वारिसान मौके पर ही कायम किये गए। प्रार्थना पत्र को शामिल पत्रावली किया गया। प्रतिवादीगणों को आपसी समझाईश से प्रकरण में कोई विवाद नही रहा है। अतः वादी का वाद स्वीकार किया जाकर उपरोक्त वर्णित चाह में वादी के हिस्से में पानी के उपयोग व उपभोग में स्वयं तथा परिवार के सदस्यों द्वारा वादी की भूमि तक पानी ले जाने वाले धोरे को नष्ट नहीं करें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो निर्णय सुनाया गया।

सहायक कलक्टर एवं
पीठासीन अधिकारी
उपखण्ड अधिकारी भीम
जिला - राजसमन्द